कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–618/ 1012 रायपुर, दिनांक 02/04/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam – Taralaguda section in State of Chhattisgarh under LWE scheme, area- 104.887 ha.**
– **पंजीयन क्रमांक FP/ CG/ ROAD / 19527 / 2016**

संदर्भः–
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–70/2017 / 10–2 दिनांक 18.01.2018
2. अ.प्र.मु.व.सं जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/व.त.अ/587 दिनांक 08.03.2018
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध/ 115–618/ 900 दिनांक 24.03.2018
4. वन मंडलाधिकारी, बीजापुर वन मंडल का पत्र क्रमांक/त.अ./2072 दिनांक 28.03.2018

= 0 =

संदर्भ–1 से विषयांकित प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। संदर्भ –2 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी तैयार कर प्रेषित की गई है जिसके उपरांत वन मंडलाधिकारी बीजापुर से संदर्भ 3 से 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भ–4 से वन मंडलाधिकारी बीजापुर द्वारा 2 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी तैयार कर प्रेषित की गई है। राज्य शासन द्वारा 5 बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी, संदर्भ क्रमांक 2 एवं 4 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निम्नानुसार है–

क्र0	आपत्ति का विवरण	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 108 में लेख अनुसार प्रकरण व्यवसायिक उपयोग का नहीं है अतः कास्ट बेनिफिट रेसियो की आवश्यकता नहीं है, जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 क्रमांक–4 अनुसार 5.00 हे. से ज्यादा के पहाड़ी क्षेत्र एवं 20.00 हे. से ज्यादा के मैदानी क्षेत्र के वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में कास्ट बेनिफिट रेसियो की गणना आवश्यक है।	प्रकरण का Cost Benefit Analysis संलग्न है **(परिशिष्ट–1)**।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 89 एवं विचाराधीन पत्र के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार स्थल पर 3066 वृक्ष थे जबकि वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन (FCA violation संबंधी विस्तृत विवरण जो पृष्ठ क्रमांक 142, 143 में उपलब्ध है) में कुल वृक्षों की संख्या 4003 दर्ज है।	राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र मिश्रित वन है। वास्तविक रूप में प्रकरण में 3066 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वन मंडलाधिकारी बीजापुर द्वारा संदर्भ पत्र–4 से पुनः स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की चौड़ाई 45 मी. प्रस्तावित की गई थी जिसमें 4003 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। वर्तमान प्रकरण 30 मी. चौड़ाई का है जिसमें 3066 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 142 एवं 143 में प्रदायित वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार; प्रकरण में आवेदक संस्थान को वन मंडलाधिकारी	(I) भोपाल पट्टनम से तारलागुडा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 (पुराना रा.रा क्रमांक 202) 0 से 36 कि.मी तक मार्ग दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु निर्माण में आने

	बीजापुर द्वारा दिनांक 13.01.2015 को औसतन 07–09 मी. मौजूद चौड़ाई के उन्नयन की अनुमति दी गई किन्तु आवेदनकर्ता संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर वन क्षेत्र में 36 कि.मी सड़क को बिना अनुमति 13 मीटर तक WBM सड़क चौड़ीकरण किया गया है। उक्त चौड़ीकरण के दौरान वृक्षों को काटकर मिट्टी, मुरम तथा गिट्टी भी तोड़ी गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 89 के अनुसार वन क्षेत्र से अवैध रूप से काटे गये 719 वृक्षों की चोरी भी दर्शायी गई है।	वाले वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण बहुत पुराना है जो वर्ष 2002 से इस प्रकरण में कार्यवाही चल रही है। आवेदक विभाग द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के संबंध में निर्धारित चौड़ाई को बारंबार बदलते हुए कभी 60 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर एवं 20 मीटर किये जाने जैसे अस्पष्ट चौड़ाई की मांग की गई, जिससे मार्ग की वास्तविक चौड़ाई हेतु भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। (II) वर्ष 2015 में कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर के पत्र क्रमांक 89/ता.शा दिनांक 12.01.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 भोपाल पट्टनम से तारलागुडा 0 से 36 कि.मी में वन क्षेत्र से जाने वाले कच्चे मार्ग जिसकी पूर्व से उपलब्ध चौड़ाई 07–09 मीटर को उन्नयन कर पक्का करने की अनुमति प्रदाय करने का मांग पत्र में कार्यवाही करते हुए वन मंडल बीजापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि/171 दिनांक 13.01.2015 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर को उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व से उपलब्ध सड़क चौड़ाई औसतन 07–09 मीटर को उन्नयन कर पक्का करने की अनुमति छ.ग. शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 21.05.2007 के निर्देशानुसार शर्तो के अधीन दी गई थी। परंतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र में दिये गये शर्तो का उल्लंघन करते हुए वर्तमान में 13 मीटर चौड़ाई सड़क पर मिट्टी फैलाने तथा WBM कार्य किया गया है। वन अधिनियम के उल्लंघन हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। प्रकरण वार विवरण संदर्भ पत्र क्रमांक 2 के 4(c) में दिया गया है। (III) भोपाल पट्टनम से तारलागुडा राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र अति संवेदनशील घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में जान माल को नुकसान एवं कई वाहनो को आग लगाने जैसी कई नक्सली घटनाएं हो चुकी है जिससे संपूर्ण क्षेत्र में हमेशा दहशत का माहौल बना रहता है। इसके कारण वन अमला उक्त क्षेत्र में सतत निगरानी करने में असमर्थ रहा है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 145 अनुसार स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम उल्लंघन हेतु तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर तथा अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग – बीजापुर जिम्मेदार है। प्रस्ताव में उपलब्ध अभिलेखों में उक्त अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्णन नहीं है। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 तथा 4 अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है अपितु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हेतु आवेदनकर्ता से दण्ड स्वरूप केवल दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि वसूली प्रस्तावित किया गया है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवेदक संस्थान पर दाण्डिक प्रावधान के साथ प्रकरण में स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलो में निर्माण कार्यो की समीक्षा राज्य शासन द्वारा नियमित रूप से की जाती है। दिनांक 18.09.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिन्दु क्रमांक 15 में भोपाल पट्टनम –वारंगल– हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा में भी यह निर्देश जारी किये गये थे कि वन व्यपवर्तन प्रकरण का एक सप्ताह के भीतर निराकरण किया जाए **(परिशिष्ट–2)** जिसके पालन में वन भूमि के व्यपवर्तन प्रकरण में दाण्डिक प्रावधान के साथ प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.01.2018 को उल्लंघन के प्रकरणों में संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये गये है जिसके आधार पर परीक्षण करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करने

	बी(1) तथा (2) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही बाबत स्पष्ट निर्देश है। इसी तरह वन संरक्षण नियम 2003 अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 10.01.2003 के बिन्दु क्रमांक 9 में उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही बाबत स्पष्ट विवरण दिया गया है। उक्त नियम के अनुसार प्रकरण में दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।	हेतु वन मंडलाधिकारी बीजापुर को संदर्भ पत्र क्रमांक 3 द्वारा निर्देशित किया गया था। संदर्भ पत्र क्रमांक 4 द्वारा वन मंडलाधिकारी बीजापुर द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुसार परीक्षण कर दण्ड प्रस्तावित किया गया है। भारत शासन के नवीन दिशा–निर्देश पत्र दिनांक 29.01.2018 के 3(B)(iv) के अनुरूप भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत संबंधितो के विरूद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा चुकी है एवं निर्देश 3(B)(iii) में दिये गये प्रावधान के अनुसार संबंधित अधिकारियों पर विभागीय रूप से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए पृथक से राज्य शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि विषयांतर्गत प्रकरण राज्य शासन की नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवागमन हेतु अंतर्राज्यीय सड़क परियोजना है, जो अतिसंवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, तथा जिसकी लगातार समीक्षा राज्य शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर की जाती रही है।
5	संदर्भित पत्र दिनांक 15.11.2017 में वर्णित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के समस्त प्रकार के उल्लंघन हेतु दाण्डिक वृक्षारोपण को जारी होने वाली स्वीकृति में शर्त के रूप में शामिल करने से क्या समस्त प्रकार के वर्णित उल्लंघनो का शमन हो जायेगा और इसका प्रावधान कहां है?	उक्त प्रकरण छ.ग. शासन के अति महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। भोपाल पट्टनम से तारलागुडा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 (पुराना रा.रा क्रमांक 202) छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना राज्य के वारंगल एवं हैदराबाद को जोड़ता है जिससे यहां के क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार एवं सुरक्षा आदि कार्यो हेतु दूरी कम होने के कारण आवागमन आसान होगा। भारत शासन के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में उल्लंघन के शमन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार वन मंडलाधिकारी बीजापुर ने संदर्भ पत्र 4 के माध्यम से भारत शासन के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु 03 (B) अनुसार पेनाल्टी प्रस्तावित की गई है। पेनाल्टी की गणना भी की गई है परंतु इसकी अंतिम गणना प्रथम चरण स्वीकृति के उपरांत पालन के समय दिशा निर्देश 3(B)(i) एवं 3(B)(ii) के अनुसार डिमाण्ड नोट जारी करते समय ही अंतिम रूप से हो सकेगी। अन्य प्रावधानो के पालन का विवरण बिन्दु क्र. 4 में स्पष्ट किया गया है। अतः भारत शासन के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः भारत शासन के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार एवं संदर्भ पत्र–1 से चाही गई जानकारी के संदर्भ में उपरोक्त तथ्यात्मक टीप एवं प्रतिवेदन के आधार पर विषयांतर्गत प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जाना उचित होगा।

संलग्नः– परिशिष्ट–1 एवं 2 एवं
संदर्भ पत्र 2 तथा 4 की छाया प्रति

(प्रारूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 02/04/2018

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–618/1013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, बीजापुर वन मंडल, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे जोन, एन.एच कैम्पस, पेंशन बाड़ा, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
c/L छत्तीसगढ़